



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 3506/SEIAA/2022

Date: 21/3/22

प्रति,

कलेक्टर

जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण कमांक 8975/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री फारूख शेख, ओनर, वार्ड नं. 8 पुराना थाना रोड़, जिला बालाघाट (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 4999 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.595 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 126/1, 126/2, 126/3, 150, 156, 158/1/2, ग्राम क्यादी, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 553वी बैठक दिनांक 22.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 553वी बैठक दिनांक 22.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के एकल प्रमाण पत्र क्र. 108 दिनांक 27.01.2022 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई भी खदान नहीं होना बताया गया है। अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार 500 मीटर की परिधि अन्य खदान भी परिलक्षित हो रही है, जिससे प्रतीत हो रहा है कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया एवं जिला कलेक्टर बालाघाट से 500 मीटर की परिधि में स्थित अन्य स्वीकृत/संचालित खदानों की जानकारी के संबंध में 07 दिवस में स्पष्ट स्थिति प्राप्त की जाये। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उक्त बैठक में लिये गये निर्णयानुसार, प्रकरण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया एवं प्रस्तावित खदान के 500 की परिधि में अन्य स्वीकृत/संचालित खदानों की वर्तमान स्पष्ट स्थिति की जानकारी 07 दिवस में SEIAA कार्यालय को प्रेषित करें।

o/c (श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव
21/03/22

पृ.क्र. 3507/SEIAA/2022

दिनांक - 21/3/22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. वनमंडलाधिकारी, जिला बालाघाट (म.प्र.)
5. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
7. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
8. खनिज अधिकारी, जिला बालाघाट (म.प्र.)
9. श्री सत्येन्द्र कुमार द्विवेदी आत्मज श्री जगजीवन प्रसाद द्विवेदी, निवासी ग्राम बरहट, तहसील त्योंधर, जिला रीवा (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

o/c (आलोक नायक)
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण